घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(515/44)2021/एफसीए/प्रमुवसं/935 दिनांक 05/04/24

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः–Diversion of 0.1409 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur to Nokha Road Section of NH-11 (New NH-21) LHS on Khasra No. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at village- Sewla, Tehsil- Nadabai, District- Bharatpur, Rajasthan.
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/Approach /149575/2021)

संदर्भः–राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(65)वन/2022 दिनांक 09.06.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 5842 दिनांक 23.10.2023 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत हैंः–

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

.....P.T.O.

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रू. 1,00,800 / – दिनांक 05.07.2022 रू. 30963 / – दिनांक 18.12.2023 **Total= 1,31,763 / –** **(अक्षरे रूपये एक लाख इकतीस हजार सात सौ तिरेसठ मात्र)** के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2 / 2010–CAMPA दिनांक 09. 06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई–चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई–चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:– **रू. 1,34,951 / –(अक्षरे रूपये एक लाख चौतीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र)** के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। CA - 131763/- NPV - 134951/- **Total 2,66,714/-** रसीद संलग्न

14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(515 / 44)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को उनके पत्रांक 5842 दिनांक 23.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

▿ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region :	Jaipur	**Select State :**	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	◉Paid ○Unpaid ○All		
Bank Name :	--Select All--	**Mode of Payment :**	--Select All--
Transaction Date (From) :		**Transaction Date (To) :**	
Enter value for Search :	149575		

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/Approach/149575/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/149575/2021) "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil - Nadabai,	APPROACH1495752021309	09 Jun 2022	CA: 0/- , Addl CA : 30963/- PCA: 0/- , CAT :0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 0/- , Total : 30963/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 12 Feb 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 13 Feb 2024 Transaction Date : 18 Dec 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/100220240850579465_FPRJApproach149575202 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=APPROACH1
2	FP/RJ/Approach/149575/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/149575/2021) "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil - Nadabai,	APPROACH1495752021422	09 Jun 2022	CA: 100800/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 134951/- , Total : 235751/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Jun 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :02 Jul 2022 Transaction Date :05 Jul 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/280620220830460502_FPRJApproach149575202 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=APPROACH1

Verified

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर – 321001 (राज.)
फोन : 05644–226017, 227518 ई–मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ( ) 2023–24 / एफसीए / मुवसभ / 5842 दिनांक 23-10-23

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

FCA
2178
31/10/23

विषयः–Construction of approach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation retail outlet on NH-11 (New NH-21) LHS on khasra no. 476, Chanage 75/776 to 75/824, at village-Sewla, Tehsil-Nadbai, District-Bharatpur (Rajasthan)". (FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भः– राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1 (65)वन / 2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 10023 दिनांक 06.09.23, 10750 दिनांक 03.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्थान सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.06.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 06.09.2023, 03.10.23 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
.1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–1)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–2)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्न–3)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर

Signature valid
Digitally signed by T Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.10.23 11:59:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4907430

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
		दिया गया है। (संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न होवें।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–7)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गो के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–8)
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत कर दी गयी है। (प्रति संलग्नक–9)
10	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (प्रति संलग्नक–10)
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–11)
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एव 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रू. 1,00,800/– (अक्षरे रूपये एक लाख आठ सौ मात्र) UTR NO. ICICR52022070500608714 को कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छायाप्रति पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (संलग्नक–12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 –एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नानुसार एन.पी.वी. की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये [illegible] विवरण निम्नानुसार है :– रू. 1,34,951/– (अक्षरे [illegible] एक लाख चौतीस हजार नौ सौ [illegible] मात्र) UTR NO. ICICR5202207050[illegible] को कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। जमा करवायी

Signature valid
Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.23 11:59:54 IST
Reason: Approved

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
	पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	गई धनराशि के चालान की छायाप्रति पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (संलग्नक–13)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–14)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–15)
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर प्रति संलग्न कर दी गई है। (संलग्नक–16)

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्र से प्राप्त उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु दो प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2023–24/एफसीए/मुवसभ/ दिनांक

प्रतिलिपी :–

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

RajKaj Ref 4907450

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.10.23 11:59:54 IST
Reason: Approved

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर – 321001 (राज.)
फोन : 05644–226017, 227518 ई–मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

कमांक एफ ( ) 2023–24 / एफसीए / मुवसभ / 5842 दिनांक 23-10-23

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषयः–Construction of approach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation retail outlet on NH-11 (New NH-21) LHS on khasra no. 476, Chanage 75/776 to 75/824, at village-Sewla, Tehsil-Nadbai, District-Bharatpur (Rajasthan)". (FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भः– राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1 (65)वन / 2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 10023 दिनांक 06.09.23, 10750 दिनांक 03.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्थान सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.06.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 06.09.2023, 03.10.23 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
.1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–1)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–2)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्न–3)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत [illegible] द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण [illegible] प्रस्तुत कर दिया [illegible]
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	[illegible] वन संरक्षक, भ[illegible] संदर्भित पत्र से [illegible] अभिकरण द्वारा [illegible] प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर

Signature valid
Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.10.23 :59:54 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
		दिया गया है। (संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न होवें।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–7)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गो के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–8)
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत कर दी गयी है। (प्रति संलग्नक–9)
10	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (प्रति संलग्नक–10)
11	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–11)
12	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रू. 1,00,800/– (अक्षरे रूपये एक लाख आठ सौ मात्र) UTR NO. ICICR52022070500608714 को कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छायाप्रति पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (संलग्नक–12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 –एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगा। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नानुसार एन.पी.वी. की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये [illegible] विवरण निम्नानुसार है :– रू. [illegible] चौतीस [illegible] नौ सौ [illegible] मात्र) UTR NO. ICICR5[illegible]83 [illegible] नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। जमा करवायी

Signature valid
Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.[illegible] 11:59:54 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScann

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
	पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	गई धनराशि के चालान की छायाप्रति पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (संलग्नक–13)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–14)
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्नक–15)
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर प्रति संलग्न कर दी गई है। (संलग्नक–16)

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्र से प्राप्त उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु दो प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2023–24/एफसीए/मुवसभ/ दिनांक

प्रतिलिपी :–

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

RajKaj Ref 4907450

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.10.23 11:59:54 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScann

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर – 321001 (राज.)
फोन : 05644–226017, 227518 ई–मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ( ) 2023–24 / एफसीए / मुवसभ / 117 दिनांक 04/01/24

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषयः–Construction of approach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation retail outlet on NH-11 (New NH-21) LHS on khasra no. 476, Chanage 75/776 to 75/824, at village-Sewla, Tehsil-Nadbai, District-Bharatpur (Rajasthan)". (FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भः– आपका पत्रांक एफ14(515/44)2021/एफसीए/प्रमुवसं/8094 दिनांक 08.11.2023 व उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक एफ( )एफसीए/उवसं/2023/12450 दिनांक 21.12.2023

FCA 17/01/24

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त आक्षेपों की उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है :–

139 18-1-24

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
.1	प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में देरी का कारण स्पष्ट करें।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र के संलग्न यूजर एजेन्सी का पत्र KRRO/1771/201223 दिनांक 20.12.2023 की प्रति संलग्न कर अवगत कराया है कि D.M. द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब व राजस्थान में पंचायती राज चुनाव प्रकिया होने के कारण प्रकरण मे यूजर एजेन्सी स्तर पर विलम्ब हुआ है। (प्रति संलग्न)
2.	प्रकरण में अन्तर की राशि वर्तमान श्रमिक दरों से जमा कराया जावे।	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रकरण में अन्तर की राशि वर्तमान श्रमिक दरों से जमा करा दी गयी है। (संलग्न जमा रसीद की प्रति)

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर का संदर्भित पत्र मय संलग्नक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2023–24 / एफसीए / मुवसभ / दिनांक

प्रतिलिपी :–

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid
Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.01.04 11:40:20 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScann

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांकः एफ( )FCA/उवसं/2023/ दिनांकः

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.1409 ha. forest land in favour of for Construction of apporach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail outlet on NH-11 (NEW NH-21) LHS on Khasra No. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at Village-Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur (Rajasthan).
Proposal No. FP/RJ/APPROACH/149575/2021

संदर्भः—आपक पत्र कमांक 8095—96 दिनांक 09.11.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.06.22 को जारी हुई है एवं प्रकरण में राशि दिनांक 05.07.2022 को जमा हुई है। आलौच्य प्रकरण में राशि वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा नही होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में देरी का कारण स्पष्ट करने हेतु एवं प्रकरण में अन्तर राशि का वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक 11716 दिनांक 22.11.2023 द्वारा यूजर एजेन्सी को आलोच्य प्रकरण में राशि वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा नही होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में देरी का कारण स्पष्ट करने हेतु एवं प्रकरण में अन्तर राशि का वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा करवाये जाने हेतु लिखा गया था। तदुपरान्त यूजर एजेन्सी के पत्र दिनांक 20.12.2023 द्वारा अन्तर राशि जमा करवा कर रसीद की प्रति अपने पत्र के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत की है एवं साथ ही देरी के निम्न कारणों से अवगत करवाया गया—

1. D.M. अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलम्ब।
2. राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव प्रक्रिया होने के कारण डीलरशिप स्वामी द्वारा विलम्ब।

अतः वर्तमान में श्रमिक दरों की वृद्वि से अन्तर राशि की जमा की रसीद (प्रति संलग्न) एवं देरी का कारण श्रीमान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

FCA
01/01/24
DF (01 d mint)

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(जी0के0 वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांकः एफ( ) FCA/उवसं/2023/12450 दिनांकः 21/12/23

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

RajKaj Ref
5216744

Signature valid
Digitally signed by Ganesh Kumar Verma
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.21 12:46:38 IST
Reason: Approved

07
01-01-24

Scanned with CamScann

भीम   हर घर औषधि योजना   15

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांकः एफ( )FCA/उवसं/2023/12449,   दिनांकः 21/12/23

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.1409 ha. forest land in favour of for Construction of apporach access for proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail outlet on NH-11 (NEW NH-21) LHS on Khasra No. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at Village-Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur (Rajasthan). Proposal No. FP/RJ/APPROACH/149575/2021

संदर्भः—आपक पत्र कमांक 8095—96 दिनांक 09.11.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.06.22 को जारी हुई है एवं प्रकरण में राशि दिनांक 05.07.2022 को जमा हुई है। आलौच्य प्रकरण में राशि वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा नही होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में देरी का कारण स्पष्ट करने हेतु एवं प्रकरण में अन्तर राशि का वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक 11716 दिनांक 22.11.2023 द्वारा यूजर एजेन्सी को आलौच्य प्रकरण में राशि वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा नही होने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में देरी का कारण स्पष्ट करने हेतु एवं प्रकरण में अन्तर राशि का वर्तमान श्रमिक दरों पर जमा करवाये जाने हेतु लिखा गया था। तदुपरान्त यूजर एजेन्सी के पत्र दिनांक 20.12.2023 द्वारा अन्तर राशि जमा करवा कर रसीद की प्रति अपने पत्र के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत की है एवं साथ ही देरी के निम्न कारणों से अवगत करवाया गया—

1. D.M. अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलम्ब।
2. राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव प्रकिया होने के कारण डीलरशिप स्वामी द्वारा विलम्ब।

अतः वर्तमान में श्रमिक दरों की वृद्वि से अन्तर राशि की जमा की रसीद (प्रति संलग्न) एवं देरी का कारण श्रीमान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(जी०के० वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांकः एफ( ) FCA/उवसं/2023/   दिनांकः

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

Signature Valid
RajKaj Ref 5216744
Digitally signed by Ganesh Kumar Verma
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.21 12:46:38 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

ACKNOWLEDGEMENT TO CUSTOMER

SAKN 84971848

Date: 1 8 1 2 2 0 2 3

We acknowledge receipt of NEFT / RTGS/ IMPS instruction(s).

Reference No(For RTGS/NEFT) RTGS

Retrieval Reference No (For IMPS)

Branch Axis [illegible]

Name and Signature of Bank Official

Remitter's Name [illegible]

Account No. 920010057871912

Cheque No. [illegible]

Beneficiary Name [illegible]

Account No. 50857014957822

IFSC [illegible]

Amount in figures [illegible]

Amount (In Words) [illegible]

30963 [illegible]

For Transaction Reference No. For IMPS with Date & Time Request

Scanned with CamScann

सेवामें, दिनांकः....................

श्रीमान उप वन संरक्षक,
भरतपुर

विषय :—Diversion of 0.1409 hectare forest land for "Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/Approach/149575/2021

संदर्भ :— राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1 (65) वन/2022 जयपुर दिनांक 09.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति **एक वृक्ष के पातन सहित** बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

देवांश ... Mindal
Kota Retail Region, Hindustan Pe... Corporation

12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि **रू. 1,00,800 / –(अक्षरे रूपये एक लाख आठ सौ मात्र)** **UTR. NO.ICICR52022070500608714** के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गयें है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2 / 2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई–चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई–चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:– **रू. 1,34,951 / –(अक्षरे रूपये एक लाख चौतीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र)** **UTR. NO.ICICR52022070500608714** के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07. 2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है।

Place: Kota

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (65) वन/2022 जयपुर, दिनांक 9 JUN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil – Nadabai, District- Bharatpur (FP/RJ/Approach/149575/2021)

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ 14 (500/43)2021/एफसीए/प्रमुवस/1733 दिनांक 18.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 के अन्तर्गत एनएच–11(नया एनएच–21) Chainage 75/776 to 75/824, LHS खसरा नम्बर 476, ग्राम सेवला तहसील नदबई, जिला भरतपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1409 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil –Nadabai, District- Bharatpur की सैद्धान्तिक स्वीकृति एक वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प मे प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने मे किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।**
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल ... हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail ... Hindustan Petroleum Corporation Limited

Scanned with CamScanner

भीम

घर-घर औषधि योजना

150

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
6. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
7. प्रबन्धक, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा रिटेल क्षेत्रीय 3–ए–5, रंगबरी मैन रोड, तलबडी, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)

कार्यालय पता:– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 ...

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्र Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-07-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLIUM CORPORATION LIMITED
Application No.	70149575422
MoEF/SG File No.	1(65)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	KOTA RETAIL REGION,3-A-5,RANGBARI MAIN ROAD,TALWANDI, KOTAKota
Amount(in Rs)	235751/-

Amount In Words :Two Lakh Thirty-Five Thousand Seven Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508570149575422 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्र Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-07-2022

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLIUM CORPORATION LIMITED
Application No.	70149575422
MoEF/SG File No.	1(65)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	KOTA RETAIL REGION,3-A-5,RANGBARI MAIN ROAD,TALWANDI, KOTA Kota
Amount(in Rs)	235751/-

Amount In Words :Two Lakh Thirty-Five Thousand Seven Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508570149575422 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR:- ICICR52022070500608714

DATE:- 05-07-2022

AmovmT - 235751=00

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Customer Acknowledgement / ग्राहक की रसीद

Customer name / ग्राहक का नाम: BHUDESH

Date: 05 07 2022

Beneficiary name / लाभार्थी का नाम: RAJASTHAN CAMPA

Mode of payment / भुगतान का प्रकार: RTGS

Beneficiary bank name / लाभार्थी के बैंक का नाम: UNION BANK of INDIA

Beneficiary account number / लाभार्थी का खाता नंबर: 15085701495 ... 422

Transaction reference number / संदर्भ संख्या: ICICR52022070500608714

Amount / रकम: 235751=00

Name and signature of Bank official / बैंक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:

Bank Seal

1771

—— MA/SM/DJ

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक/एफ ( ) एफसीए /उवसं/2022/ 4268 दिनांक 16/06/2022
निमित्त

प्राप्त हुआ
13 2022
कोटा क्षेत्रीय कार्यालय

प्रबन्धक,
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
कोटा रिटेल क्षेत्रीय 3-ए-5,
रावबाड़ी मैन रोड, तलवंडी, कोटा।

Sub:- Construction Of Approach Access For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet On NH-11 (New NH-21) LHS on Khasara No 476, Chainage 75/776 TO 75/824, At Village – Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur(Rajasthan) (FP/RJ/Approach/149575/2021).

सन्दर्भः– शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (65)वन/2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 के क्रम मे।

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (65) वन/2022 जयपुर, दिनांक 09.06.2022 के द्वारा :- Construction Of Approach Access For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet On NH-11 (New NH-21) LHS on Khasara No 476, Chainage 75/776 TO 75/824, At Village – Sewla, Tehsil- Nadbai, District-Bharatpur(Rajasthan) (FP/RJ/Approach/149575/2021). की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की गई है। जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 16 तक जो आपसे सम्बधित है उनकी पालना रिपोर्ट, मांग राशि जमा कराने के साथ प्रस्तुत करे एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अग्रेंजी) में प्रकाशित कर, समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक **किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे।** मांग राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	दर राशि (रू0 में)	राशि (रू. में)	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1	नैट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV)	0.1409	9,57,780	1,34,951 रू. For ecoclass –III Open Forest	OSMFWP (Online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जावे।
2	Cost of Compensatory Afforestation	100 पेड (10 वर्षो तक रखरखाव हेतु)	—	1,00,800 रू0	
		योग		2,35,751 रू0	

संलग्नः–सैद्धान्तिक स्वीकृति

(अभिमन्यु सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक/एफ ( ) एफसीए /उवसं/2020–21/ दिनांक :
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल ... लिमिटेड
Kota Ret... Limited

05644-228114

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

रा.प्र.नि.मं./भरतपुर/सामा.-148/1386 दिनांक 12.12.19

अति. जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
राजस्व अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर।

विषय :- प्रार्थना पत्र श्रीमती रेखा कुमारी पत्नि श्री दीवान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना एवं श्रीमती भूदेश पत्नि श्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टांडा तहसील व जिला भरतपुर बावत् ग्राम सेवला तहसील नदबई स्थित आराजी खसरा नं. 476 रकबा 0.28 हैक्टे. में से 1883.69 वर्गमीटर का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक राजस्व/12/3 ( )/2019/8371 दिनांक 26.11.2019।

संदर्भ :- मु.का. द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक F.16(CD-Gen-1)Bikaner/RPCB/1214-1284 Dated 26.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि मण्डल मुख्यालय, जयपुर के आदेश क्रमांक F.16(CD-Gen-1)Bikaner/RPCB/1214-1284 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार भूमि रूपान्तरण सम्बन्धित प्रकरणों में मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सलाह दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (प्रति संलग्न)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.आर. कसाणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर

देवांश जिन्दल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल ... लिमिटेड
Kota Retail Re... Limited

Condition No. 01

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, कोटा द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan"** के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
...पुर (राज.)

Condition No. 02

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan"** के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal

Name: / Sales Officer (Bharatpur)

Office Seal & Signature:

Designation: Hindustan Petroleum Corporation Limited

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 03

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़**, कोटा द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"** के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail / Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 04

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"** के दौरान प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 05

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan"** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Sales Officer (Bharatpur)

कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

उप वन संरक्षक

भरतपुर (राज.)

Condition No. 06

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, कोटा द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: बिक्री / Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature: ... कार्पोरेशन लिमिटेड
Designation: ... Petroleum Corporation Limited

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 07

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, कोटा द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"**के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
/ Sales Officer (Bharatpur)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 8

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, कोटा** द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.09

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan), District – Bikaner(Rajasthan)"** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: ... Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature:
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.10

Full title of the Project:	Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)
Proposal No	: FP/RJ/Approach/149575/2021
Date of Proposal	: 25.11.2021
Proposed Diversion Area:	0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District–Bharatpur (Rajasthan), District–Bikaner(Rajasthan)"** हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
Name: बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
Office Seal & Signature: कोटा ... लिमिटेड
Designation: Kota ... Petroleum Corporation Limited

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.11

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"** के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

Name: Devansh Jindal

Office Seal & Signature:

Designation:

Kota Retail ... Petroleum Corporation Limited

उपवन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No.12

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा वचन दिया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा राशि रू.1,00,800/–(अक्षरे रूपये एक लाख आठ सौ मात्र) **UTR. NO. ICICR52022070500608714** द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 13

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालन द्वारा राशि रु.1,34,951/– (अक्षरे रूपये एक लाख चौतीस हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) **UTR. NO. ICICR52022070500608714** कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

Name: Devansh Jindal

Office Seal & Signature: Sales Officer (Bharatpur)

Designation: Corporation Limited

उप वन संरक्षक

भरतपुर (राज.)

Condition No. 14

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

Devansh Jindal

Name: Officer (Bharatpur)

Office Seal & Signature:

Designation:

उप वन संरक्षक

भरतपुर (राज.)

Condition No. 15

Full title of the Project: Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा** द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota

Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

Condition No. 16

Full title of the Project : Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/Approach/149575/2021

Date of Proposal : 25.11.2021

Proposed Diversion Area: 0.1409 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, कोटा** द्वारा वचन दिया जाता है कि **"Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village – Sewla, Tehsil -Nadabai, District – Bharatpur (Rajasthan)"** हेतु जारी सैंद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Kota
Date:

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
भरतपुर (राज.)

FORM-II
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bharatpur

No. :Rev/12/12( )2022/7442 date : 01/12/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.1409 Hac. of forest land for construciton of Approach access for propose Hindustan petroleum Corporation Limited retail outlet on (NH no 21 LHS on Khasra no. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur) of forest land in favour of for FRA in Bharatput District falls within jurisdiction of subdivision Nadbai .**

It is further certified that:

a) The complete process for identificatin and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1409 hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Trbal Group and pre agricultural communities.

Encl; As above

(Alok Ranjan)
District Collector
Bharatpur

No. :Rev/12/12( )2022/7443-46 date : 01/12/2022

Copy forwarded to:
1- CEO Zila prishad bharatpur
2- DFO Bharatpur
3- Sdm Nadbai
4- Tehsildar Nadbai

District Collector
Bharatpur

Kota Retail Region

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.11.2022 को Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रपत्र अ अनुसार अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आगे बढाई गई। उक्त बैठक में Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur पर चर्चा की गई।

ग्राम पंचायत करही पंचायत समिति नदबई द्वारा अपने पत्रांक 12 दिनांक 29.06.2022 से अवगत कराया गया है कि 'प्रकरण में स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प जो कि एन0एच0 21 पर स्थित है, के सामने स्थित 0.1409 हैक्टे वन भूमि के डायवर्जन से सम्बंधित है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पूर्व खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 चैनेज 75/776 से 75/824 ग्राम सेवला तहसील भरतपुर पर स्थित है। एन0एच0 21 पूर्व एन0एच0 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि 0.1409 हैक्टे में कोई जन जाति निवास नहीं करती है और ना ही किसी के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है, इसलिये किसी भी व्यक्ति के पुनर्वास की आवश्यकता नही है। ग्राम पंचायत करही द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 04.12.2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड क्षेत्र नदबई में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उक्त प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आता है। एवं उक्त आराजी पर उक्त एक्ट के तहत किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ ही एफ.आर.ए. हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.1409 हैक्टे है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये बैठक में प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी आशय के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांक/राजस्व/12/12( )/2022/7439-41
दिनांक 01/12/2022

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।

अति0जिला कलक्टर
भरतपुर

...ash Jindal
...Officer (Bharatpur)
...Corporation Limited

Fax: (05644) 223855 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

बाबत् अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी के संबंध में दिनांक 04.12.2020

आज दिनांक 04.12.2020 को समय शाम 04:00 बजे स्थान उपखण्ड कार्यालय नदबई में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा जारी पत्रांक राजस्व/15/1( )2020/9346 दिनांक 05.10.2020 एवं 9224 दिनांक 30.09.2020 बाबत् Diversion of 0.8746 ha, Of forest land in favour of Indian oil corporation limited (IOCL) for construction of Approach road for proposed Indian oil corporation limited retail outlet on Bharatpur Jaipur road (NH-21) Between km stone 85-86 (Chainage : 85+972.00-86+014.55) khs in khasra no 2994 at village Aroda Tehsil Nadbai Bharatpur एवं पत्रांक राजस्व/15/1( )2020/9224 दिनांक 30.09.2020 Forest land diversion proposal for 0.0536 ha. Forest land for Hindustan Petroleum Corporation Ltd. For Construction fo Approach road for proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-21) His side on khasra no 476 Chainage 75/776 to 75/824 village sewla tehsil nadbai Bharatpur की पालना में उपखण्ड अधिकारी, नदबई की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न सदस्य एवं अधिकारियों ने भाग लिया, जिनका विवरण इस प्रकार है।

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	पदस्थापन स्थान	हस्ताक्षर
1.	श्री सौदान सिंह	विकास अधिकारी (सदस्य)	पंचायत समिति, नदबई	
2.	श्री विक्रम सिंह मीना	क्षेत्रिय वन अधिकारी (सदस्य)	नदबई	
3.	श्री पंजाब सिंह	थानाधिकारी (सदस्य)	थाना लखनपुर	

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए बैठक कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। उपखण्ड क्षेत्र नदबई में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य मनोनित नहीं होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उक्त बैठक में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर से प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा की गई। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उपखण्ड क्षेत्र नदबई में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उक्त दोनों प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
बिक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

दोनों प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आते है। एवं उक्त आराजी पर उक्त एक्ट के तहत उक्त दोनों प्रकरणों में किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

उक्त प्रकरणों के अलावा बैठक में चर्चा योग्य कोई प्रकरण नहीं होने से बैठक इसी स्तर पर समाप्त की गइ

तत्पश्चात् बैठक समाप्त की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
नदबई (भरतपुर)
दिनांक :15 /12/ 2020

क्रमांक : राजस्व / वै.का.वि. / 20 / 16427-30
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , भरतपुर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नदबई।
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, नदबई।
4. थानाधिकारी, लखनपुर।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
नदबई (भरतपुर)

देवांश जिंदल / Devansh Jindal
विक्री अधिकारी / Sales Officer (Bharatpur)
कोटा रिटेल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Kota Retail Region, Hindustan Petroleum Corporation Limited

विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर सभी [illegible]

[illegible] विचार स्थल और संबंधित प्रकरण की जाँच कर यह पाया कि [illegible] भूमि ग्राम सेवला तहसील नदबई के खसरा नं. 2254/578 रकबा [illegible] बैंक पर स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प जो कि NH 21 पर स्थित है के सामने स्थित 0.1509 हेक्टेयर एवं भूमि के क्षेत्र में संबंधित है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पूर्व खसरा नं. पानेवाला खसरा नं. 2254/578 चैनेज 78/778 से 78/825 ग्राम सेवला तहसील नदबई पर स्थित है। NH-21 (पूर्व NH-11) एवं खसरा नं. पानेवाला खसरा नं. 2254/578 के मध्य स्थित 0.1509 हेक्टेयर भूमि में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है और ना ही किसी के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है इसलिए किसी व्यक्ति के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम के तहत FRA प्रमाण पत्र जारी करने पर ग्राम पंचायत कराही को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रस्ताव को उपरान्त समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित व अनुसमर्थित कर पारित किया गया।

श्रीमान सरपंच साहब की अनुमति से ग्राम पंचायत की कार्यवाही पूर्ण की गई।

PC Attested

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कराही
पं० स० नदबई, भरतपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, कराही
पं० स० नदबई, भरतपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत कराही

देवांश जिंदल / Devansh Jindal

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 18.11.2022 को Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गठित कमेटी के सदस्यों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रपत्र अ अनुसार अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आगे बढाई गई। उक्त बैठक में Diversion of 0.1409 ha. Of forest land for construction of Approach access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Limited retail outlet on NH-11(New NH-21) LHS on Khasra no. 476. Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur पर चर्चा की गई।

ग्राम पंचायत करही पंचायत समिति नदबई द्वारा अपने पत्रांक 12 दिनांक 29.06.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प जो कि एन0एच0 21 पर स्थित है, के सामने स्थित 0.1409 हैक्टे वन भूमि के डायवर्जन से सम्बंधित है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पूर्व खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 चैनेज 75/776 से 75/824 ग्राम सेवला तहसील भरतपुर पर स्थित है। एन0एच0 21 पूर्व एन0एच0 11 एवं खसरा नम्बर 476 नया खसरा नम्बर 554/476 के मध्य स्थित वन भूमि 0.1409 हैक्टे में कोई जन जाति निवास नहीं करती है और ना ही किसी के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि कोई भी जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता है, इसलिये किसी भी व्यक्ति के पुनर्वास की आवश्यकता नही है। ग्राम पंचायत करही द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 04.12.2020 से अवगत कराया है कि उपखण्ड क्षेत्र नदबई में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है एवं उक्त प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं प्रकरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत नहीं आता है। एवं उक्त आराजी पर उक्त एक्ट के तहत किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ ही एफ.आर.ए. हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0.1409 हैक्टे है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये बैठक में प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी आशय के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर
दिनांक 01/12/2022

क्रमांक/राजस्व/12/12( )/2022/7439-41

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।

30/11/22

अति0जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय अधीक्षक
कलक्टर भरतपुर

2nd\Gen.I.doc

Fax: (05644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in

1334

FORM-II

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bharatpur

No. :Rev/12/12( )2022/7442 date :01/12/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.1409 Hac. of forest land for construciton of Approach access for propose Hindustan petroleum Corporation Limited retail outlet on (NH no 21 LHS on Khasra no. 476, Chainage 75/776 to 75/824 at village Sewla Tehsil Nadbai District Bharatpur) of forest land in favour of for FRA in Bharatput District falls within jurisdiction of subdivision Nadbai .**

It is further certified that:

a) The complete process for identificatin and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1409 hac.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Trbal Group and pre agricultural communities.

Encl; As above

(Alok Ranjan)
District Collector
Bharatpur

No. :Rev/12/12( )2022/7443-46 date :01/12/2022

Copy forwarded to:

1- CEO Zila prishad bharatpur
2- DFO Bharatpur
3- Sdm Nadbai
4- Tehsildar Nadbai

District Collector
Bharatpur

कार्यालय अधीक्षक
कलक्टर, भरतपुर

1. आवेदन ...
2. आदेश ...
3. ...
4. ...
5. फीस-प्रपत्र शुल्क ...

20 26/9/2023 26/9/2023 27/9/2023 27/9/2023 3/10/2023

2 रु. TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY — COURT FEE — भारत INDIA

...5644) 223355 Phone: 223086(O), 223316(R) Email : rajbha@nic.in.

श्री महावीर जी की 36 वीं पदयात्रा रविवार,25 सितम्बर को श्री महावीरजी पहुचेगी। इस मौके पर श्री महावीरजी में पदयात्रा संघ की ओर से दो दिवसीय विभिन्न आयोजन होगें।

इससे पूर्व शनिवार,24 सितम्बर को पदयात्रा के दिगंबर जैन मंदिर गुढाचन्द्र जी पहुचने पर स्थानीय जैन समाज की ओर से भावभीना स्वागत-सत्कार किया गया। पदयात्रा के क्षेत्रीय सह संयोजक गौरव काला, सुशील पाटनी ने बताया कि पदयात्रियों ने स्नानादि के बाद मंदिर जी में संगीतमय सामूहिक पूजन की जिसमें पारस प्यारा लागो जिनेश्वर प्यारा लागो..., केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया ... सहित भक्ति

इस मौके पर संघ के संरक्षक सुभाष चन्द जैन, पदयात्रा संयोजक पवन जैन नैनवां,सह संयोजक जिनेन्द्र जैन,सोभाग मल जैन,अशोक पाटोदी, गजेन्द्र शाह, सुशील कुमार जैन,विजय कुमार बैसाडा, मयंक बाकलीवाल, श्रीमती मोना बाकलीवाल, क्षेत्रीय सह संयोजक पंकज बड़जात्या (चौमूं), हितेश पाटनी (हिंगोनिया),अजय जैन (अजमेर), श्रीमती चन्द्र कान्ता लुहाडिया (सिकन्दरा) गौरव जैन(चंदलाई), सुशील पाटनी (धोंद),रवि प्रकाश जैन(बगरु जिनेन्द्र जैन सहित पदयात्रा संघ के कार्यकारिणी सदस्य एवं बड़ी संख्या में पदयात्री बन्धु वह स्थानीय समाज जन मौजूद थे।

स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा हेतु बैठक आयोजित

करौली (नि.स.) कन्या कुमारीस्थित स्वामी विवेकानन्द केंद्र के राजस्थान प्रान्त के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में विवेकानन्द सन्देश यात्रा 19 नवम्बर से 07 जनवरी 2023 तक निकाली जावेगी। जिसकी तैयारियो को लेकर बैठक आयोजित हुई।

भारत विकास परिषद् के प्रांतीय मीडिया एवं आई टी सेल प्रमुख योगेन्द्र सिंहल ने बताया कि सम्पूर्ण राजस्थान में इस यात्रा के भव्य आयोजन हेतु स्वामी विवेकानन्द केन्द्र के राजस्थान प्रांन्त पदाधिकारियों द्वारा परिषद सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विवेकानन्द केन्द्र राजस्थान प्रान्त संगठक प्रांजलि येरीकर ने बताया कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी राजस्थान के समस्त 33 जिलों में स्वामी विवेकानन्द के संदेश को प्रचारित एवं प्रसारित करने जा रहा है। उन्होंने बताया की यह यात्रा एकनाथजी रानडे के जन्मदिन 19 नवंबर से लेकर विवेकानन्द केन्द्र के स्थापना दिवस 7 जनवरी को पूर्ण होगी।

प्रांतीय संपर्क प्रमुख अशोक खण्डेलवाल ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द के योग के संदेश को राजस्थान के युवाओं एवं आमजन के मध्य ले जाया जाएगा। इस यात्रा का 19 नवम्बर को खेतड़ी से प्रारम्भ होकर 50 दिन में जोधपुर में समापन होगा।

आयोजन के
ई प्रतिबद्धता

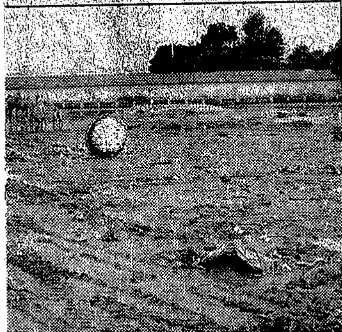

जन को लेकर संशय चल रहा है।

ारिष डाल रही है। एक ओर जहां लंपी बीमारी

पश्चिम मध्य रेल

पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी

वरि. मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेल ने पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है:

केटलॉग सं.: Lease-KTT-8-22
अनुबंध का प्रकार: Leasing of SLR compartment
लॉट सं.
22997-SLR-F1-JLWC-SGNR-22-1
19722-SLR-R1-BXN-JP-22-1
19807-SLR-R1-KOTA-HSR-22-1
05838-SLR-F1-KOTA-JLWC-22-3
05840-SLR-F2-KOTA-JLWC-22-1
05833-SLR-F2-KOTA-MDS-22-1
19820-SLR-F2-KOTA-BRC-22-1
19807-SLR-F2-KOTA-HSR-22-1
22983-SLR-R1-KOTA-INDB-22-1
13238-SLR-F1-KOTA-PNBE-22-3
19807-SLR-F1-KOTA-HSR-22-3
22981-SLR-F1-KOTA-SGNR-22-1
05913-SLR-F1-KOTA-JAB-22-1
19820-SLR-R1-KOTA-BRC-22-1
19722-SLR-F2-BXN-JP-22-1
19813-SLR-F2-KOTA-HSR-22-1
12059-SLR-F1-KOTA-NZM-22-2
12401-SLR-F1-KOTA-DDN-22-2
19820-SLR-F1-KOTA-BRC-22-3
05833-SLR-F1-KOTA-MDS-22-3
05913-SLR-R1-KOTA-JAB-22-1
05833-SLR-R1-KOTA-MDS-22-1
22983-SLR-F1-KOTA-INDB-22-1
05840-SLR-F1-KOTA-JLWC-22-3
05913-SLR-F2-KOTA-JAB-22-1
19811-SLR-F1-KOTA-ETW-22-3
19722-SLR-F1-BXN-JP-22-3
05838-SLR-F2-KOTA-JLWC-22-1
05838-SLR-R1-KOTA-JLWC-22-1
05840-SLR-R1-KOTA-JLWC-22-1
22983-SLR-F2-KOTA-INDB-22-1

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (65) वन/2022 — जयपुर, दिनांक-9 June 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil – Nadabal, District-Bharatpur (FP/RJ/Approach/149575/2021

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (500/43)2021/एफसीए/प्रमुवस/1733 दिनांक 18.05.2022

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत एनएच-11(नया एनएच-21) Chainage 75/776 to 75/824, LHS खसरा नम्बर 476, ग्राम सेवला तहसील नदबई, जिला भरतपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1409 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH-11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabal, District-Bharatpur की सैद्धान्तिक स्वीकृति एक वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा। 11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षा का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/ 2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वैबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्यनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (बी. प्रवीण), शासन सचिव

पश्चिम मध्य रेल

कोटा मंडल • कार्यालय: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोटा/प.म.रे.

Notice No.: C-491/Part-1/GCT, Date: 21.09.2022

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के तहत नये फ्रेट टर्मिनलों का विकास करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के लिए सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेल प्रशासन द्वारा कोटा मंडल के सभी स्टेशनों में गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के तहत नये फ्रेट टर्मिनलों का विकास करने के उद्देश्य से इच्छुक ट्रांसपोर्टरों, रसद सेवा प्रदाताओं एवं विकासशील फर्मों द्वारा माल यातायात को बढ़ावा देने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित करते हैं, कार्य निष्पादन के विकास के साथ प्रस्ताव व कार्य का विस्तृत अनुमान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, कोटा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।

- कोटा मंडल के किसी भी स्टेशन विशेष तौर पर जुल्मी एवं मांडलगढ़ क्षेत्र के लिए प्रस्ताव दिये जा सकते है।
- कार्य का दायरा गति शक्ति मल्टी–मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के तहत रेलवे और नॉन–रेलवे भूमि पर रेल कार्गो टर्मिनल का विकास।

ट्रांसपोर्टरों, रसद सेवा प्रदाताओं को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए टर्मिनल को आधुनिक परिवहन व हेंडलिंग सुविधाओं के साथ विकसित किया जायेगा।

माल यातायात जो वर्तमान में सडक द्वारा ले जाया जा रहा है, उससे रेलवे को स्थानांतरित करने की पेशकश की जायेगी।

- **ईओआई प्रस्तुत करना: 06.10.2022 समय 15.00 बजे तक।**
- **प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:**
  - कोटा मंडल की रेलवे/गैर भूमि पर माल गोदामों/नये टर्मिनलों के लिए विकास योजना।
  - योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावक द्वारा अपेक्षित निवेश।
  - रेलवे की ओर से उम्मीद।
  - प्रस्तावक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ राजस्व योजना।
  - यातायात अनुमान (यदि कोई हो)।
  - लाइसेंस / अनुबंध की अवधि।
  - अन्य विचार जो प्रस्तावक रेलवे के साथ साझा करना पसंद कर सकते है।

प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच आवेदकों द्वारा प्रस्तावित विचारों और अनुमानों के आधार पर की जाएगी। रेलवे प्रस्ताव के आधार पर अंतिम योजना / निवेश योजना / लाइसेंस की अवधि और अन्य नियम और शर्तों को अंतिम रुप देगा और मौजूदा नियमों के अनुसार खुली निविदाएं आमन्त्रित कर सकता है।

उपरोक्त के संबध में इच्छुक आवेदक अपने प्रारम्भिक प्रस्ताव नीचे दिये गए पते या ई–मेल आईडी srdcmkota@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते है। इच्छुक आवेदक इस सम्बन्ध में

UP (where cases were reported) to districts in the eastern part of the state (free from lumpy skin disease) to prevent the spread of the disease, said animal husbandry minister Dharampal Singh on Friday.

The viral disease spread to animals in 14 states of the country and it is "fatal to animals like coronavirus is to humans". The disease entered UP through states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana and Delhi, the minister said on fifth day of the ongoing Monsoon Session of the Assembly. Singh said a high-level meeting had been held under the chairmanship of CM Yogi to prepare a work plan to check the spread of lumpy skin disease in UP. According to state government's data, 26,107 cattle have been infected with the disease and 16,872 have been treated, he added.

Lumpy Skin disease has been reported in 28 districts of Agra, Jhansi, Meerut, Saharanpur, Moradabad and Bareilly divisions. The animal husbandry department has constituted teams for the vaccination of cattle in all districts. Farmers are being trained and enlightened over the measures they should take to protect cattle from the disease. The department has also set up control rooms in the districts, including Lucknow, for relief and rescue work. The helpline number is 18000180514l, 0522-2741992 and 7880776656, he said.

Haryana and Delhi.

PIC FOR REPRESENTATION

"LOCKDOWN" ON INTRASTATE MOVEMENT OF ANIMALS FROM 28 DISTS, SAYS DHARAMPAL SINGH

desh have made it to the list where the number was 22 last year, according to the Hurun Rich List-2022.

Kanpur-based RSPL Group chairman Murali Gyanchandani is the richest man in UP with a net worth of ₹12,000 crore. He is the 149th richest Indian as per the list. To be on this elite list, one must have a minimum net worth of ₹1,000 crore.

Gyanchandani's net worth was ₹9,800 crore last year. His brother Vimal Gyanchandani is on the second spot with a net worth of ₹8,000 crore, which was ₹6,600 crore last year.

On UP's rich list, the maximum eight industrialists are from Noida, six from Agra, five each from Kanpur and Lucknow. Alakh Pandey of Physics Wallah with a net worth of ₹4400 crore has brought Prayagraj on the rich list for the first time.

Agra mayor Naveen Jain and

Edtech startup

Alakh Pandey with his parents.

3 KILLED, 6 INJURED IN SE

MUZAFFARNAGAR/SAHARANPUR : Three people were killed and six others sustained serious injuries in separate incidents of house collapse due to heavy rain, officials said on Saturday.

In Muzaffarnagar, Shoeb (14) and Sana Perveen (11) were killed and five other family members were seriously injured when their house collapsed on Friday night while they were sleeping.

भूमि

राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर, दिनांक 9 June 2022

क्रमांक: प. 1 (65) वना/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH -11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil – Nadabai, District- Bharatpur (FP/RJ/Approach/149575/2021

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (500/43)2021/एफसीए/प्रमुवस/1733 दिनांक 18.05.2022

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत एनएच-11 (नया एनएच-21) Chainage 75/776 to 75/824, LHS खसरा नम्बर 476, ग्राम सेवला तहसील नदबई, जिला भरतपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1409 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशो के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1409 ha. of forest land in favour of Hindstan Petroleum Corporation Ltd. for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on NH-11 (New-NH-21) LHS on Khasra No 476, Chainage 75/776 to 75/824, At Village - Sewla, Tehsil -Nadabai, District- Bharatpur की सैद्धान्तिक स्वीकृति एक वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे सुरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ आर ए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा। 11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/ 2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तत्पश्चात विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (बी. प्रवीण), शासन सचिव

Devansh Jindal

HT Classifieds

MATRIMONIALS

GROOMS WANTED

ARORA

CA/ICWA.CS

WANTED CA,CS and/or Doctor for practicing CA Arora Sikh boy 98, 2406 1991/9:15 pm Chandigarh, educated family. Send horoscope. Whatsapp Contact: 9815587789

RAJASTHAN URJA VIKAS N

(A Government of Rajasthan Un

Corporate Identity Number (CIN) - U4010

Regd. Office : Vidyut Bhawan

Work Office: 1st Floor, Hudco Bhawan

E-mail: SE.PRVNL@RAJASTHAN.GOV.IN Website

NOTICE INVITING TE

Online bids are invited to procure 250 MW R 2022 to 15th November 2022 on short term ba State Utilities/CPPs/Distribution Licensees/S specification under TN-14/RUVNL/FY www.mstcecommerce.com/www.energy further details.

Raj.samwad/C/22/8275 RUVNL/PR-30 (2022)

Rajasthan State Road Development And Constructio